हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 09 सितम्बर, 2020

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक/1–12/2020.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7) जो आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

––––––––––

2020 का विधेयक संख्यांक 7

कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 65 का संशोधन।
4. धारा 85 का संशोधन।
5. धारा 106 ख का अंतःस्थापन।
6. 2020 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 5 का निरसन और व्यावृत्तियां।

––––––––

2020 का विधेयक संख्यांक 7

कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथालागू कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 63) का संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह 9 जुलाई, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 2 का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश राज्य को यथालागू कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (ड) में,––

(क) उप–खण्ड (i) में ''दस'' शब्द के स्थान पर ''बीस'' शब्द रखा जाएगा; और

(ख) उप–खण्ड (ii) में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर ''चालीस'' शब्द रखा जाएगा।

3. धारा 65 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 65 की उप–धारा (3) के खण्ड (iv) में ''पचहत्तर से अधिक नहीं होगी'' शब्दों के स्थान पर '', इस शर्त के अध्यधीन कि अतिकाल के लिए साधारण मजदूरी की दर का दो गुणा संदत्त किया जाएगा, एक सौ पंद्रह से अधिक नहीं होगी'' चिह्न और शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 85 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 85 की उप–धारा (1) के खण्ड (i) में ''दस'' और ''बीस'' शब्दों के स्थान पर क्रमशः ''बीस'' और ''चालीस'' शब्द रखे जाएंगे।

5. धारा 106 ख का अन्तःस्थापन.––मूल अधिनियम की धारा 106 क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:––

''**106ख. अपराधों का शमन**.––राज्य सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन केवल जुर्माने से दण्डनीय प्रथम बार किए गए किसी अपराध का, मुख्य निरीक्षक द्वारा अभियोजन को संस्थित करने से पूर्व या उसके पश्चात् प्रशमन फीस की ऐसी रकम, जैसी वह उचित समझे, किन्तु अपराध के लिए नियत जुर्माने की अधिकतम रकम से अनधिक की वसूली पर किसी अपराध का शमन किया जा सकेगा; और जहां अपराध का शमन,––

(क) अभियोजन संस्थित करने से पूर्व किया जाता है, तो अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजन हेतु दायी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में है, तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा; और

(ख) अभियोजन संस्थित करने के पश्चात् किया जाता है, तो शमन उस अपराधी की दोषमुक्ति से प्रभावी होगा, जिससे अपराध का शमन हुआ है।''।

6. 2020 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 5 का निरसन और व्यावृत्तियां.––(1) कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

––––––––––

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कारखाना अधिनियम 1948, (1948 का अधिनियम संख्यांक 63) जो कि एक केन्द्रीय विधान है, सत्तर वर्षों से भी पूर्व अधिनियमित किया गया था। इन वर्षों में संक्रमणकालीन परिवर्तन हो जाने के कारण इसे अधिक प्रभावी और लाभदायक बनाने के आशय से हिमाचल प्रदेश राज्य को यथालागू अधिनियम के कुछ उपबन्धों को संशोधित किया जाना अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ड) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार ''कारखाना'' से, ऐसा परिसर अभिप्रेत है जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में किसी भी दिन, दस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है, या साधारणतया शक्ति के बिना कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, परिसर, जिसमें शक्ति की सहायता के बिना विनिर्माण प्रक्रिया की जा रही है, में कर्मकारों की संख्या बीस या

अधिक हो सकेगी। विद्यमान सीमा के कारण लघु ईकाइयां भी ''कारखाना'' की परिभाषा के अन्तर्गत आती हैं। राज्य में लघु ईकाइयों द्वारा विनिर्माण क्रियाकलापों में बढ़ौतरी करने के आशय से विद्यमान निश्चित सीमा को 'दस' और 'बीस' कर्मकारों से बढ़ाकर क्रमशः ''बीस'' और ''चालीस'' तक किया जाना प्रस्तावित किया गया है। यह संशोधन कर्मकारों के लिए नियोजन के अधिक अवसरों के सृजन के परिणामस्वरूप लघु विनिर्माण ईकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु समयोचित है। परिणामतः धारा 85 के विद्यमान उपबन्ध को भी संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 65 के अधीन कोई कर्मकार किसी तिमाही में अधिकतम पचहत्तर घण्टे के अतिकाल के लिए काम कर सकेगा। इस परिसीमा को इस शर्त के अध्यधीन, कि अतिकाल के लिए साधारण मजदूरी की दर का दो गुणा संदत्त किया जाएगा, एक सौ पन्द्रह घण्टे तक की बढ़ौतरी करने का प्रस्ताव है ताकि कर्मकारों को उपार्जन के अधिक अवसर प्राप्त हो सकें और साथ ही राज्य में सुगमता से कारोबार करने में भी बढ़ौतरी हो सके।

वर्तमानतः, पूर्वोक्त अधिनियम में अपराध का शमन करने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप अनावश्यक मुकद्दमें बाजी हो रही है, जो प्रायः दुष्कर, समय की खपत वाली और मंहगी है। ऐसे मामलों के त्वरित निपटान के लिए और मुकद्दमों की संख्या को कम करने के लिए अपराधों का शमन करने हेतु एक नई धारा 106ख का अन्तःस्थापन प्रस्तावित है।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश राज्य को यथालागू कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करना अनिवार्य हो गया था। इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, द्वारा, भारत के राष्ट्रपति से अनुदेशों को अभिप्राप्त करने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 5) तारीख 7 जुलाई, 2020 को प्रख्यापित किया गया था जिसे राजपत्र (ई–गज़ट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 9 जुलाई, 2020 को प्रकाशित किया गया था। अब, उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(बिक्रम सिंह)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख : ....., 2020

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 7 OF 2020

THE FACTORIES (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2020

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title and commencement.

2. Amendment of Section 2.
3. Amendment of Section 65.
4. Amendment of Section 85.
5. Insertion of Section 106 B.
6. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 5 of 2020 and savings.

BILL NO. 7 OF 2020

THE FACTORIES (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2020

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to amend the Factories Act, 1948 (Act No. 63 of 1948) in its application to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Factories (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on 9th day of July, 2020.

2. Amendment of Section 2.—In Section 2 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) in its application to the State of Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the "principal Act"), in clause (m),—

(a) in sub-clause (i), for the word "ten", the word "twenty" shall be substituted; and

(b) in sub-clause (ii), for the word "twenty", the word "forty" shall be substituted.

3. Amendment of Section 65.—In Section 65 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (iv), for the words "seventy-five", the words "one hundred and fifteen, subject to the condition that overtime shall have to be paid twice the rate of ordinary wages" shall be substituted.

4. Amendment of Section 85.—In Section 85 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (i), for the words "ten" and "twenty", the words "twenty" and "forty" shall be substituted respectively.

5. Insertion of Section 106 B.—After Section 106 A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"106 B. Compounding of offences.—Any offence punishable under this Act with fine only and committed for the first time, may subject to any general or special order of the State Government, be compounded by the Chief Inspector, either before or after the institution of the prosecution, on realization of such amount of composition fee as he thinks fit, but not

exceeding the maximum amount of fine fixed for the offence; and where the offence is compounded,—

(a) before the institution of prosecution, the offender shall not be liable to prosecution, for such offence and shall, if in custody, be set at liberty; and

(b) after the institution of the prosecution, the composition shall have the effect of an acquittal of the accused with whom the offence has been compounded.".

6. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 5 of 2020 and savings.—(1) The Factories (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been validly done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Factories Act, 1948 (Act No. 63 of 1948), a central legislation, was enacted more than seventy years ago. Due to the transitional changes having taken place, some of the provisions of the Act are required to be amended in its application to the State of Himachal Pradesh, in order to make it more effective and fruitful. As per the provision contained in clause (m) of Section 2 of the Act, 'factory' means any premises wherein ten or more workers are working, or were working on any day of the preceding twelve months, and in any part of which a manufacturing process is being carried on with the aid of power, or is ordinarily so carried on. Further, in the premises, wherein manufacturing process is being carried on without the aid of power, the number of workers may be twenty or more. Because of the existing limit, small units are also covered under the definition of 'factory'. In order to increase the manufacturing activities by small units in the State, it is proposed to increase the existing threshold limits of 'ten' and 'twenty' workers to 'twenty' and 'forty' respectively. This amendment is likely to encourage the establishment of small manufacturing units resulting in creation of more employment opportunities to the workers. Consequently, the existing provision of Section 85 is also proposed to be amended.

Further, under section 65 of the Act *ibid.*, a worker may work overtime for maximum seventy-five hours in any quarter. There is a proposal to increase this limit to one hundred and fifteen hours subject to the condition that overtime shall have to be paid twice the rate of ordinary wages, so that the workers may get more opportunities to earn and simultaneously also enhance the ease of doing business in the State.

Presently, in the Act *ibid.*, there is no provision to compound the offences, resulting in unnecessary litigation, which is often cumbersome, time consuming and expensive. For speedy disposal of such cases and to minimise the number of litigations, a new section 106 B is proposed to be inserted for composition of offences.

Since, the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and amendments in the Factories Act, 1948, in its application to the State of Himachal Pradesh were required to be carried out urgently, therefore, the Government of Himachal Pradesh, after obtaining the instructions from the President of India, in exercise of the powers conferred under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, promulgated the Factories (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 2020 on 7th July, 2020 which was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal

Pradesh on 9th July, 2020. Now, the said Ordinance is being replaced by a regular legislation without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(BIKRAM SINGH)
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The……., 2020

_____